

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के बीच जो मोटर मार्ग का समरेखण हुआ है। वह कार्य काफी सफल हो चुका है। मोटर मार्ग के सन्दर्भ में मेरे समस्त ग्रामवासियों को भी आपत्ति नहीं है। और मेरे सभी ग्रामवासी मोटर मार्ग निर्माण में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। मेरे सभी ग्रामवासी व लोक के सभी नागरिक काफी उत्साहित है।

Shyam Singh
राजेन्द्र सिंह
मोहन सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह

ग्राम प्रधान- राजेन्द्र सिंह
ग्राम- बड़ी पंचायती
विकासखण्ड- कपकोट
जिला- बाराबंका

प्रधान- राजेन्द्र सिंह
ग्राम पंचायत बड़ी पंचायती
वि०ख०-कपकोट जनपद बाराबंका
(उत्तराखण्ड) काशी एवं मुहर

Shiv
मोहन सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

मनोहर सिंह
मनोहर सिंह

सेवा में

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामो निर्माण, पी० आर० ०५०-२, पी० एम० जी० एस० वाई०, क्षेत्र-कपकोट जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि आज दिनांक ०६/०६/०७ को ग्राम समिति की एक बैठक की गयी एवं स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। जिसमें की हम सभी ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सभी ग्रामवासियों की नाप भूमि एवं अन्य वन्य सम्पदा की क्षति हेतु कोई विरोध नहीं होगा।

उक्त महोदय से निवेदन करना है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण तुरंत प्रारम्भ करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद।

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1	Khim Singh	Khim Singh
2	मोहन सिंह	मोहन सिंह
3	मोहन सिंह	मोहन सिंह
4	कुमार सिंह	कुमार सिंह
5	मोहन सिंह	मोहन सिंह
6	मोहन सिंह	मोहन सिंह
7	मोहन सिंह	मोहन सिंह
8	मोहन सिंह	मोहन सिंह
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	मोहन सिंह	मोहन सिंह
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	मोहन सिंह	मोहन सिंह
13	मोहन सिंह	मोहन सिंह
14	मोहन सिंह	मोहन सिंह
15	मोहन सिंह	मोहन सिंह
16	मोहन सिंह	मोहन सिंह
17	मोहन सिंह	मोहन सिंह
18	मोहन सिंह	मोहन सिंह
19	मोहन सिंह	मोहन सिंह
20	मोहन सिंह	मोहन सिंह
21	मोहन सिंह	मोहन सिंह
22	मोहन सिंह	मोहन सिंह
23	मोहन सिंह	मोहन सिंह
24	मोहन सिंह	मोहन सिंह
25	मोहन सिंह	मोहन सिंह
26	मोहन सिंह	मोहन सिंह
27	मोहन सिंह	मोहन सिंह
28	मोहन सिंह	मोहन सिंह
29	मोहन सिंह	मोहन सिंह
30	मोहन सिंह	मोहन सिंह
31	मोहन सिंह	मोहन सिंह
32	मोहन सिंह	मोहन सिंह
33	मोहन सिंह	मोहन सिंह
34	मोहन सिंह	मोहन सिंह

प्रधान ०६/०६/०७
ग्राम पंचायत बड़ी पन्थाली
०५०-कपकोट जनपद-बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर एवं मुहर

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामो निर्माण वि०, पी०आई०यू-२, पी०एम०जी०एस०वाई०, क्षेत्र-कपकोट जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय-
महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक व विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाली नाप भूमि से ग्राम व निवासी के किसी भी कास्तकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। एवं सिविल व नाप भूमि में किसी भी व्यक्ति व आदिम जाति का कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।

अतः महोदय आप से निवेदन है, कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्रताशीर्घ प्रारम्भ करने की कृपा किजिएगा।
धन्यवाद।

क्र.सं०	नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
2	जसपाल देवी	कृष्ण मीरा देवी
3	प्रमोद देवी	प्रमोद देवी
4	हरीश्वर सिंह	हरीश्वर सिंह
5	मोहन सिंह	मोहन सिंह
6	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र सिंह
7	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
8	बलदेव सिंह	बलदेव सिंह
9	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
10	निखिल सिंह	निखिल सिंह
11	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
12	देवेंद्र कुमार	देवेंद्र कुमार
13	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
14	दत्त सिंह	दत्त सिंह
15	मोहन सिंह	मोहन सिंह
16	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
17	निखिल सिंह	निखिल सिंह
18	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह

Rohit
प्रधान

ग्राम पंचायत गड़ी पन्थाली
वि०ख०-कपकोट जनपद-बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर एवं मुहर

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक ०८/०६/१७ को ग्राम पंचायत वरिष्ठ पञ्च लि

आज दिनांक 06/06/17 को ग्राम पंचायत अध्यक्ष पंचायत में वन पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में चर्चा की गई, वन पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचायत से गुजरने वाली नुमि को देने में वन पंचायत समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

वन प्रचालन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

(1) विनायक सिंह

2- प्रतिदिन

3-10-19

$$4 - \frac{22}{22}$$

5- $\frac{132}{100} \text{ in}$

9-14-31

3/11/20

9414310-8

Talabzinghi

341713

345-501

22/11/20

for 10/10/14

ଆଇ-ନି-ଦି-ଆ

4

[illegible]

सप्तम्य
गिरिवादेय

वन पचासत गडी पन्थाली

वा०, वि० स्व० पन्थाली

उत्तराखण्ड-वागडवर (उत्तराखण्ड)

संरपंच

वन पंचायत

दिनांक 06/08/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत -

क्र.सं०	नाम, पिता का नाम एवं ग्राम	हस्ताक्षर
1-	श्रीकान्त सिंह 5/0 हाथीगंज सिंहर - वही पंचायत	Sekhar
2-	प्रवीण सिंह 5/0 हाथीगंज सिंहर - 11-11	प्रवीण सिंह
3-	प्रोद्योग सिंह 5/0 तिलोय सिंहर - 11-11	प्रोद्योग सिंह
4-	कदम सिंह 5/0 खोद सिंहर - 11-11	Kad
5-	कैलास सिंह 5/0 हाथीगंज सिंहर - 11-11	कैलास सिंह
6-	रामदास सिंह 5/0 भाग सिंह - 11-11	रामदास सिंह
7-	गोकुल सिंह 5/0 तिलोय सिंहर - 11-11	Gokul
8-	हरिप्रसाद सिंह 5/0 धरम सिंह - 11-11	हरिप्रसाद सिंह
9-	दामोदर सिंह 5/0 जोहार सिंह - 11-11	Damodar
10-	लक्ष्मण सिंह 5/0 वटारु सिंहर - 11-11	Laxman
11-	रवीन्द्र सिंह 5/0 मधन सिंह - 11-11	रवीन्द्र सिंह
12-	राजेंद्र सिंह 5/0 राजेंद्र सिंह - 11-11	राजेंद्र सिंह
13-	राज सिंह 5/0 लाला सिंह - 11-11	राज सिंह
14-	मंगल सिंह 5/0 लक्ष्मण सिंह - 11-11	मंगल सिंह
15-	गोविन्द सिंह 5/0 लक्ष्मण सिंह - 11-11	गोविन्द सिंह
16-	वचन सिंह 5/0 राजेंद्र सिंह - 11-11	वचन सिंह
17-	लाला सिंह 5/0 विजय सिंह - 11-11	लाला सिंह
18-	दामोदर सिंह 5/0 महेन्द्र सिंह - 11-11	दामोदर सिंह
19-	रवीन्द्र सिंह 5/0 महेन्द्र सिंह - 11-11	Ravi
20-	सुन्दर सिंह 5/0 कदम सिंह - 11-11	सुन्दर सिंह
21-	कदम सिंह 5/0 लक्ष्मण सिंह - 11-11	Kad
22-	देवेंद्र सिंह 5/0 लक्ष्मण सिंह - 11-11	देवेंद्र सिंह
23-	लुशाल सिंह 5/0 हाथीगंज सिंहर - 11-11	लुशाल सिंह

हो/-
 ग्राम प्रधान 06/08/17
 ग्राम पंचायत बड़ी पन्थाली
 पि० ख०-कपकोट जलपट-बागेश्वर
 (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम

बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 57 से बड़ी पन्चाली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.28 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2008 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 57 से बड़ी पन्चाली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.28 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। (०.०० है० आरक्षित वन भूमि 3.42 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.०० है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.42 है० वन भूमि) का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 1०-06-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रवीन्द्र सिंह बिष्ट एवं जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री रवीन्द्र सिंह बिष्ट	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उपजिलाधिकारी
2-	श्री जयन्त राणा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	कपकोट
3-	श्री कादू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	उपजिलाधिकारी
4-	श्री जयन्त राणा	वी०डी०सी० क्षेत्र- बड़ी पन्चाली	सदस्य	कपकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 57 से बड़ी पन्चाली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.28 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना हेतु 3.42 है० वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्जन की अनुशंसा की गई है।

संक्षेप वन प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी

दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 57 से बड़ी पन्याली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.28 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। परियोजना के निर्माण हेतु 3.42 है० वन भूमि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाये पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :- कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :- कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :- कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

दिनांक 04/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- बड़ी पन्थाली

क्र.सं.	नाम एवं पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	पार्वती देवी ७७० रमेश सिंह	पार्वती देवी
2-	लक्ष्मी देवी ९१० प्रभात सिंह	प्रभात सिंह
3-	धन सिंह १०० राजेश सिंह	धन सिंह
4-	दीप देवी ७१० हरिहर सिंह	दीप देवी
5-	माधोराज ९१० केकरा सिंह	माधोराज
6-	जमुना देवी ७१० राय सिंह	जमुना देवी
7-	गोविन्द सिंह ९१० अक्षय सिंह	गोविन्द सिंह
8-	गोपाल सिंह ९१० अक्षय सिंह	गोपाल सिंह
9-	भवान सिंह ९१० अक्षय सिंह	भवान सिंह
10-	भवान सिंह ९१० दीवान सिंह	भवान सिंह
11-	रवींद्र सिंह ९१० माधो सिंह	रवींद्र सिंह
12-	दान सिंह ९१० लखन सिंह	दान सिंह
13-	गोपाल सिंह ९१० धन सिंह	गोपाल सिंह
14-	दरपान सिंह ९१० दान सिंह	दरपान सिंह
15-	बन्नी सिंह ९१० राज सिंह	बन्नी सिंह
16-	पुष्पाक्ष सिंह ९१० अक्षय सिंह	पुष्पाक्ष सिंह
17-	भगवान सिंह ९१० मोहन सिंह	भगवान सिंह
18-	दरपान सिंह ९१० पान सिंह	दरपान सिंह

प्रधान पुष्पाक्ष
 ग्राम पंचायत बड़ी पन्थाली
 दिनांक 04/2017
 मुख्यालय
 ग्राम पंचायत- बड़ी पन्थाली
 (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र-23.3

परिचय का नाम :- बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०सी० 57 से बड़ी पन्थाली मोटर मार्ग (लम्बाई 3.28 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 16/6/17 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद बागेश्वर

1	श्री आर० एस्० बि०	उपजिलाधिकारी	अवकाश	उपविभागाधिकारी
2	श्री बलराम राई	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उपविभागाधिकारी
3	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	उपविभागाधिकारी
4	श्री	डी०डी०सी० क्षेत्र बड़ी पन्थाली	सदस्य	उपविभागाधिकारी

FORM - 23.3

Name of Work : Construction of Bageshwar Kapkot Tejem Motor Road Km. 57 to Badhi Panyali Motor Road (3.28 Km) (Stage - I) under PMGSY.

Annexure-1

FORM - 1

Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Bageshwar

No.

Date : 15/7/2017

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.42 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction : Construction of Bageshwar Kapkot Tejem Motor Road Km. 57 to Badhi Panyali Motor Road (3.28 Km) under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Bageshwar Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.42 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure _____ to _____.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to _____.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

Signature

(District Collector)